## -बाईस-

उत्तर प्रदेश सरकार कर एवं निबन्धन अनुभाग—5 संख्या क0नि0—5—2425 / ग्यारह—2002—218 (9)—98 लखनऊ, दिनांक 08 अगस्त, 2002 अधिसूचना

## प0आ0-547

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पिठत रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 और 7 के अधीन शिक्त का प्रयोग करके और इस निमित्त पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल,—

- (क) खण्ड अकराबाद के राजस्व ग्रामों के क्षेत्र को अपवर्जित करके जिला हाथरस और उप जिला सिकन्दराराऊ की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं,
- (ख) खण्ड अकराबाद के राजस्व ग्रामों के क्षेत्र को सिम्मिलित करके जिला–अलीगढ़ और उप जिला अलीगढ–द्वितीय की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं।

आज्ञा से, ह0अस्पष्ट ललित श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. K.N. 5-2425/XI-2002-218 (9)-98 dated August 8, 2002 for general information :

## No. K.N. 5-2425/XI-2002-218 (9)-98 Lucknow, Dated August 08, 2002 Notification

In exercise of the powers under section 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) read with section 21 of General Clauses Act, 1897

(Act No. X of 1897) And in partial modification of previous notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to alter the Limits of,

- (a) District Hathras and sub-District Sikandrarau by excluding the area of revenue villages of Block Akrabad,
- (b) District Aligarh, and sub-district Aligarh II by including the area of revenue Villages of Block Akrabad.

By order, Sd/-Illegible LALIT SRIVASTAVA, Principal Secretary.